न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सि
आ

अपील संख्या 195/2022
विक्रम देव पुत्र सागर मल, जाति माली, निवासी सूर्य बिहार, वार्ड नं0 22 झुंझुनूं, तहसील व
झुंझुनूं।

––अपी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार मोरवाल, जाति कुमावत, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व
   झुंझुनूं।
2. परमानन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति कुमावत, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. पिंकी पत्नी मनोहरलाल धूपिया, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 49, कस्बा झुंझुनूं, तह
   जिला झुंझुनूं।
4. राकेश पुत्र रोशनलाल, जाति जाट, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. संदीप कुमार पुत्र राजवीरसिह, जाति जाट, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझु
6. हजारी पुत्र दौलतराम, जाति माली, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. भूमि धारक जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पो

––

प्रथम अपील अ0धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झुंझुनूं
01.11.2021 (जिसके आधार पर एस0ओ0 सीकर द्वारा दिनांक 11.10.2022 को सीमाज्ञान हेतु
किया गया) बाबत भूमि खसरा नं0 2470 व 2471 राजस्व ग्राम कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिल
के विरूद्ध

––

उपस्थितः–

1. श्री रोताश कुलहरी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1, 2 व 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री कमल शर्मा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से उपस्थित।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट्स सं0 7 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 27

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार ... के आदेश दिनांक 01.11.2021
आधार पर एस0ओ0 सीकर द्वारा दिनांक 11.10.2022 को ...ज्ञान हेतु पत्र जारी किया गय
भूमि ख0न0 2470 व 2471 राजस्व ग्राम ... की गई है। प्रार्थना पत्र
दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ... पर बहस सुनी गयी। ... व
गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र
धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी का निम्न निवेदन है कि अपीलार्थी भू
नम्बर 4173/2470 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 4174/2471 रकबा 0.0800 हैक्टर राज
कस्बा झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झुंझुनूं, तहसील झुंझुनूं, जिला
रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि की सीमा से लगती हुई भूमि ख0
रकबा 0.90 हैक्टर व ख0न0 2471 रकबा 0.055 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है
स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 6 के नाम अंकित है जिसको रेस्पोडे
लगायत 6 ने भूमि को भूखण्डो में विभक्त कर अलग अलग व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्

नाम अंकित उपरोक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी आबाद है जिसमें 90 प्रतिशत भूखण्डो में निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा भूखण्डधारी अपने परिवार सहित उपरोक्त भूमि पर निवास कर रहे है। रेस्प सं0 1 लगायत 6 के पास उपरोक्त खसरा नम्बर 2470 व 2471 में किसी प्रकार की कोई भूमि मौ शेष नहीं है। इसके बावजूद अपीलान्ट की जानकारी के अनुसार उन्होने समस्त तथ्य छि तहसीलदार झुंझुनूं व भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष उपरोक्त भूमि के संबंध में बदनियती सीमाज्ञान करवाने हेतु उपरोक्त अधिकारियों से मिली भगत कर नाजायज तरीके से अपीलार्थी की को एक षडयन्त्र के तहत हडपने के लिये एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट नं0 4 द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं को दिनाक 01.11.2021 को सीमाज्ञान हेंतु आवेदन किया जिसमे पटवारी द्वारा रिपोर्ट गलत दी गई। मौके पर भूमि खाली है व इसमें कोई स्थगन आदेश नही है। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा मौके पर पटवारी हल्का द्वारा दिनंक 03.12.2021 को फर्द तैयार की गई लिखा कि मौके पर मकानात व सघन आबादी है। नपती करना संभव नही है। दिनांक 28.12.202 तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर खसरा नम्बरों की नपती हेतु लिखा टीम ने दिनांक 31.12.202 रिपोर्ट दी कि ख0न0 2470 व 2471 रकबा 1.35 हैक्टर की नपती सघन आबादी होने से जी0पी मशीन से नपती सम्भव है दिनांक 06.01.2022 को तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर को चिट्टी कि उक्त ख0न0 का सघन आबादी होने पर एस0ओ0 सीकर ने जी0पी0एस0 मशीन से करवा लिखा जावे। इस संबंध में एस0ओ0 सीकर को जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 13.01.2022 को लि स्थगन नहीं होने पर उचित रिपोर्ट भेजने को कहा मगर बिना पालना किये ही 26.08.2022 क गठित कर दी। जी0पी0एस0 मशीन से टीम गठित कर सीमा ज्ञान करवाया जो रात को करवाय व टीम ने अपनी मनमर्जी से सीमाज्ञान कर दिनांक 11.10.2022 को ख0न0 2470 व 2471 जमीन हाल ख0न0 4174/2471, 4175/2461, 4172/2463 व 2464 पर राजस्व मण्डल द्वारा आदेश होने के बावजूद टीम द्वारा पुलिस जाप्ता लेकर अपीलान्ट की खडी फसल में डरा धमकाक जबरदस्ती पूर्वक सीमाकंन किया गया। अपीलान्ट द्वारा बार-बार कहने के पश्चात भी अधिकारियो द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में अपने नक्शे में लाल स्याही में अपीलान्ट की भूमि को की धमकी दी गयी जो प्रशासन द्वारा गलत किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट अपील रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरित है। अधीनस्थ न्याय इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 6 के पास किसी प्राकर की को खसरा नम्बर 2470 व 2471 के शेष नही है। क्योंकि उनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान भूखण्डों में भिन्न भिन्न व्यक्तियो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व जरिये इकरारनामा बेचान किया जा तथा मौके पर आवासीय कॉलोनी आबाद है। इसलिये उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार सीमाज्ञान का आदेश पारित किया जाना पूर्णतया अवैध आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय तह झुंझुनूं ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 6 भू माफिया किस्म में व्य जिनका आशय केवल दूसरो की भूमि को हडपना है जबकि उनकी भली भांति यह जानकारी उनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया जा चुका है। इसके बावजूद उनके द्वारा अपीलाधीन पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थी की भूमि नं0 4173/2470 व 4173/2471, 4172/2463, 2464 के सम्बन्ध में राजस्व राजस्थान अजमेर द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आदेश पारित किया हुआ है सूचना भी पूर्व में तहसीलदार झुंझुनूं व भू प्रबन्ध अधिकारी को दी जा चुकी थी तथा अ प्रति भी अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके बावजूद भू माफियाओं को नाजायज पहुंचाने के लिये अपीलाधीन सीमाज्ञान का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्याय सीमाज्ञान का आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि जो भूमि खस 7470 व 7471 के विक्रय पत्र पंजीबद्ध हुये है। वो वर्तमान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारि आदेश की अवहेलना कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। उपरोक्त तथ्य को भी नजर अन्दाज कर भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपीलाधीन सीमाज्ञान व पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि किसी भी विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तब कि उसे सु अवसर प्रदान ही कर दिया जाता। अपीलार्थी भूमि खसरा नम्बर 4173/2470 व 4174/ रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसकी सीमा पर खसरा नम्बर 2470 व 2471 की भ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:56 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:56 IST
Reason: SelfAttested

गलत तरीके से भू माफियाओ को नाजायज लाभ पहुचाने के लिये दर्शाया गया है। जबकि अप
वर्षो से अपनी भूमि पर काबिज है तथा आज भी यथावत काबिज है। लेकिन प्रशासनिक अधिका
भू माफियाओ के गठजोड से उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवा कर अपीलार्थी को उसक
से जबरन बेदखल करने के लिये षडयन्त्र रखा गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की
अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 (जिसके आध
सीमाज्ञान निशानदेही दिनांक 11.10.2022 को सीमाज्ञान हेतु पत्र जारी किया गया) को निरस्त
जाने का आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 व
विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1, 2 व 5 ने वकील अपीलान्ट्स के
का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने दो–दो आदेशों के विरूद्व यह अपी
की है। अपीलान्ट दो आदेशों की एक अपील नही कर सकता है। तथाकथित आदेश दिन
11.2021 मात्र पटवारी की रिपोर्ट है जो आदेश की श्रेणी मे नही आती है। दूसरी ओर एव
आदेश जिसकी अपील की गई है वह भू–प्रबन्ध अधिकारी ने तहसीलदार को पत्र लिखा
आदेश की श्रेणी मे नही आता है। अपीलान्ट की यह अपील प्रोपर नही है। अतः अपील अ
खारीज फरमाई जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 6 ने न तो कोई पक्ष नही रखा और न ह
दलील पेश की।

बहस के दौरान राजकीय वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 7 ने वकील अपीलान्ट के कथ
विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपील मे अपीलान्ट द्वारा दो–दो आदेशों के विरूद्व
पेश की है। अपीलान्ट दो आदेशों की एक ही अपील पेश नही कर सकता। अतः
अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन
दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने दो–दो आदेशों के विरूद्व यह अप
की है। अपीलान्ट दो आदेशों की एक अपील नही कर सकता है। तथाकथित आदेश दिन
11.2021 मात्र पटवारी की रिपोर्ट है जो आदेश की श्रेणी मे नही आती है। दूसरी ओर ए
आदेश जिसकी अपील की गई है वह भू–प्रबन्ध अधिकारी ने तहसीलदार को पत्र लिख
आदेश की श्रेणी मे नही आता है। अपीलान्ट की यह अपील प्रोपर नही है। अपीलान्ट
अपील सारहीन है। अतः सारहीन होने से अपील यह अपील खारीज की जा
मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित वापस जावे। पत्रावली दफ्तर से कम की जाकर फैस
हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिलदफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:56 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस
जिला क
झुंझु